न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 013/2023

1. विनोद कुमार पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— — प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभापकगण:–

1. श्री नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता — — प्रार्थी
2. श्री अब्दुल सतार जोईया — — अप्रार्थी 1

निर्णय

दिनांक :- 30.08.2024

प्रार्थी विनोद कुमार ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि प्रार्थी के नाम से चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 132/129 में कुल 3.795 हैक्टर आराजी कमाण्ड आराजी दर्ज राजस्व के रिकॉर्ड है तथा अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार के नाम से चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 87/79 में कुल 2.290 हैक्टर कमाण्ड आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. की पत्थर नम्बर 198 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में उत्तर से दक्षिण स्वीकृत व मंजूरशुदा रास्ता है जिससे होकर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 4 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 198/368(13) किला नम्बर 21, 22 में पश्चिम से पूर्व होकर अपनी भूमि किला नम्बर 23 में प्रवेश करता चला आ रहा है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ता मौका पर चालु है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नही है जिस कारण से प्रार्थी को अनेकों परेशानियो का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] डबल्यू. के पत्थर नम्बर 198/368(13) किला नम्बर 21, 22 में दक्षिण [illegible] पश्चिम से पूर्व प्रत्येक किला मे 0.012 हैक्टर चौड़ा रास्ता स्वीकृत [illegible] रास्ता का अंकन करवाना चाहता है व रास्ता की भूमि [illegible], अप्रार्थी के चिपते [illegible] भूमि या डीएलसी रेट की दोगुणा राशि देने के लिए [illegible] पर व तैयार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 को आज से एक सप्ताह पूर्व उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 कतई इन्कार हो गया, बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 4 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 198/368(13) किला नम्बर 21, 22 में दक्षिण दिशा में, पश्चिम से पूर्व प्रत्येक किला में 0.012 हैक्टर चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी दफा हाजा में वर्णितानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम से दर्ज होने का कथन स्वीकार है, लेकिन दफा हाजा में वर्णित समस्त आराजी प्रार्थी की दादी पान्नी व मुझ अप्रार्थी की दादी मीरां के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज कागजात माल थी, जिसका खुलासा अतिरिक्त कथन में किया गया है।

प्रार्थना पत्र की दफा हाजा में दर्ज कथन कि चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 198/368 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत होने का कथन स्वीकार है, शेष कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही। दफा हाजा में वर्णित कथन कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 4 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 198/368(13) के किला नम्बर 21, 22 में पश्चिम से पूर्व होकर अपनी कृषि भूमि के किला नम्बर 23 में प्रवेश करता चला आ रहा है, उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है, उक्त रास्ता मौका पर चालू है, का कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किया गया है, स्वीकार नही है। मुझ अप्रार्थी की की आराजी के किला नम्बर 21, 22 में से कभी भी प्रार्थी का आवागमन नही रहा जबकि प्रार्थी किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत शुदा से नहर की पटरी होकर अपने सगे चाचा रामेश्वर पुत्र अर्जनराम के खेत मे से अपनी कृषि भूमि में आवागमन करता चला आ रहा है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी की आराजी के किला नम्बर 21, 22 में रास्ता स्वीकृत करवाने का कतई अधिकारी व दावेदार नही है। प्रार्थी अपने सगे चाचा रामेश्वर की आराजी में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नाकाबिल चलने रफतार के होने के कारण काबिल खारीजी के है।

अतिरिक्त कथन :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की दफा 4 में [illegible] असत्य व मनघड़त दर्ज ये [illegible] कारण हासिल किये गये है, स्वीकार नही। प्रार्थी का मुझ अप्रार्थी [illegible] चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. के नही है। इसके अलावा यह आराजी के साथ साथ चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. के [illegible] 21 पत्थर नम्बर 198/368(13) पत्थर नम्बर 199/368(12) किला नम्बर 11, 20, 21 पत्थर नम्बर 197/368(14) किला नम्बर 2 ता 8, 13 ता 18, 23 किला नम्बर 1 ता 25 पत्थर नम्बर 197/368(14) किला नम्बर 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 197/369(20) किला नम्बर 5, 6 पत्थर नम्बर 198/369(21)

Scanned with CamScanner

किला नम्बर 1 ता 10, पत्थर नम्बर 199 / 369(22) किला नम्बर 1, पत्थर नम्बर 197 / 362(20) किला नम्बर 5, 6 कुल 53 बीघा आराजी प्रार्थी की दादी मु0 पानी व मुझ अप्रार्थी की दादी मु0 मीरां के नाम से ब0हि0व0 दर्ज कागजात माल थी। नकल जमाबन्दी चक 4 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 49 / 44 सम्वत् 2045 संलग्न जबाब दरख्वास्त है।

प्रार्थी की दादी मु0 पानी व मुझ अप्रार्थी की दादी मु0 मीरां की संयुक्त खाता की आराजी का अच्छी मन्दी व रास्ता – खाला की सहुलियत के लिहाज से आपस में सन् 1990 में विभाजन हो गया तथा मुताबिक विभाजन अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करने लगे। चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 198 / 368(13) किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 197 / 368(12) किला नम्बर 11, 20, 21 पत्थर नम्बर 198 / 369(21) किला नम्बर 5, 6 पत्थर नम्बर 199 / 369(22) किला नम्बर 1 की आराजी प्रार्थी की दादी मु0 पानी को प्राप्त हुई तथा चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 197 / 368(14) किला नम्बर 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 198 / 368(13) किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, पत्थर नम्बर 197 / 369(20) किला नम्बर 5, 6 पत्थर नम्बर 198 / 369(21) किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10 की आराजी मुझ अप्रार्थी की दादी मु0 मीरां को प्राप्त हुई । मु0 पानी को प्राप्त आराजी उनके पुत्र देवीलाल, मंगलाराम व रामेश्वर पर औंद हुई तथा मु0 मीरां के नाम से दर्ज आराजी मुझ अप्रार्थी को प्राप्त हुई । मुझ अप्रार्थी की दादी मु0 मीरां व मु0 पानी के नाम से दर्ज समस्त चकों की आराजी का रास्ता खाला की सहुलियत तथा अच्छी मन्दी के लिहाज से खाता विभाजन हो चुका है इसलिए प्रार्थी मुझ अप्रार्थी की आराजी में से रास्ता स्वीकृत करवाने का कतई अधिकारी नही है । प्रार्थी अपने सगे चाचा रामेश्वर की आराजी में से आवागमन करता चला आ रहा है, जिसको स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। इजराय आदेश की फोटो प्रति संलग्न जबाब है।

चक नम्बर 4 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 198 / 368(13) किला नम्बर 3 / 2 / 0.031 कमाण्ड, 4 / 2 / 0.1900 कमाण्ड, 5 / 2 / 0.1900 कमाण्ड, 6, 7, 8 की आराजी रामेश्वर पुत्र अर्जनराज के नाम से दर्ज कागजात माल है तथा पत्थर नम्बर 198 / 368(13) किला नम्बर 3 / 1 / 0.159 कमाण्ड ओमप्रकाश वगैरह पि0 देवीलाल के नाम से दर्ज कागजात माल है। रामेश्वर पुत्र अर्जनराम व देवीलाल के वारिसान 198 / 368 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत रास्ता में से होते हुए नहर की पटरी से अपने खेत में प्रवेश करते चले आ रहा है। प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी को तंग परेशानी व खर्चे से जैरकार करने के लिए गलत कथनों के आधार पर मुकदमा हाजा पेश किया है जो नाकाबिल चलने रफतार के होने के कारण काबिल खारीजी के है। लिहाजा जबाब दरख्वास्त 251 ए आर.टी.ए. मय अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत [illegible] किया गया।

बहस [illegible] अवलोकन किया गया पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दी[illegible] व तहसीलदार ([illegible]) टिब्बी की रिपोर्ट अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि कि प्रार्थी [illegible] कृषि भूमि को कोई गैर मुमकिन रास्ता नही लगता है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम रास्ता है। अतः वर्तमान परिस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार की कृषि भूमि चक नम्बर 6 एम. जैड.डबल्यू. के खाता संख्या 87 / 79 के पत्थर नम्बर 198 / 368(13) किला नम्बर 21, 22 में दक्षिण दिशा में, पश्चिम से पूर्व प्रत्येक किला में 0.012 हैक्टेयर कुल रकबा स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते का अंकन किया जावे।

तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते में आई भूमि के मुआवजे हेतु वर्तमान डी.एल.सी. की दुगुनी राशि की गणना कर प्रार्थी से राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे एवं जमाशुदा राशि का अप्रार्थी महेन्द्र कुमार को भुगतान किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner